न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 211/2016

पंजीयन दिनांक 14.07.2016

(1). हमजा बेग पिता कमाल बेग जाति कागजी मुसलमान निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). युसुफ बेग पिता कमाल बेग जाति कागजी मुसलमान निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(3). रशीद बेग पिता कमाल बेग जाति कागजी मुसलमान निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). जेनब बेवा खाजु जाति कागजी मुसलमान निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). उस्मान बेग पिता खाजु जाति कागजी मुसलमान निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(3). अहमद बेग पिता खाजु जाति कागजी मुसलमान निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(4). भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(5). मुन्नीबाई पुत्री नानु जाति कागजी मुसलमान निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 23/2012 निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.06.2015

उपस्थित वक्त बहस-(1). किशनलाल कुमावत-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3- बावजूद सूचना अनुपस्थित
(3). सावन श्रीमाली-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 4

निर्णय **दिनांक 30.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट्गण ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 53 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा घोसुण्डा की खाता संख्या 73 व 550 मे दर्ज आराजी संख्या 456/2घ, 466, 467, 468, 469/1घ, 1265, 1267, 1274, 1275/1, 1276/1 कुल किता 10 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार खाजू, ईस्माईल पिता नाथू कागजी के नाम दर्ज रही है। उक्त वर्णित साबिक आराजीयात के नवीन आराजी संख्या 477, 479, 570, 571, 1625, 1628, 1833, 1837, 1838 कुल किता 9 कुल रकबा 2.84 हैक्टेयर दर्ज रेकॉर्ड है जिसमे वर्तमान खातेदार जेनब बेग, खाजू, उस्मान बेग, अहमद बेग पिता खाजू बेग रसीदा बेवा ईस्माईल कागजी खातेदार है। नामान्तरण संख्या 550 ग्राम घोसुण्डा के कॉलम संख्या 3 मे गत जमाबंदी के खाता संख्या 183 नाथू, कमाल, नानू पिता अलाबक्ष कागजी कुल किता 7 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा एवं खाता संख्या 186 नाथू पिता अलाबक्ष कागजी कुल किता 7 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता संख्या 189 पर नूर मोहम्मद, खाजू पिता हसन, नाथू, कमाल, नानू पिता अलाबक्ष, राजू पिता हसन कागजी दर्ज है। वादपत्र मे पारिवारिक सजरा भी प्रस्तुत किया । नानू बेग के कोई वारीस नहीं है। नामान्तरण संख्या 550 मे दो खाता संख्या 183, 189 मे तो नामान्तरण आदेश की पालना रोटेशन की जमाबंदी मे हो गई थी। परन्तु खाता सख्या 186 मे वादीगण अपीलांट्गण का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से रह गया। इस हेतु वाद खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत है। वादीगण अपीलांट्गण का उक्त वर्णित आराजीयात मे 1/2 हिस्सा निहित है। इसलिये बंटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 , 4 रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अन्य प्रतिवादीगण को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली मे तनकीयात कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

की गई। साक्ष्य वादी मे रसीद बेग का शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीया मुन्नी बाई पुत्री नानू बेग की ओर से प्रकरण मे पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया मुन्नी बाई को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप मे पक्षकार कायम किया गया। दिनांक 06.11.2012 को पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी संख्या 6 हेतु नियत की गई। दिनांक 05.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होना मानते हुए वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायायल मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण वादीगण ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 , 4 रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अन्य प्रतिवादीगण को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी मे रसीद बेग का शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत थी परन्तु वादीगण अपीलांट्गण को स्वयं की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण से जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया मुन्नी बाई पुत्री नानू बेग की ओर से प्रकरण मे पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया मुन्नी बाई को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप मे पक्षकार कायम किया गया। दिनांक 06.11.2012 को पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी संख्या 6 हेतु नियत की गई जिसे प्रतिवादी संख्या 6 का जवाब लिये बिना व बिना अपीलांटगण वादीगण की जानकारी के दिनांक 05.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होना मानते हुए वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांटगण वादीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु 2008 पार्ट-2 पेज 975 प्रस्तुत किया गया। अन्त मे अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 , 4 रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अन्य प्रतिवादीगण को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी मे रसीद बेग का शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीया मुन्नी बाई पुत्री नानू बेग की ओर से प्रकरण मे पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया मुन्नी बाई को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप मे पक्षकार कायम किया गया। दिनांक 05.06.2015 को राज्य सरकार के निर्देशानुसार पत्रावली वास्ते निस्तारण न्याय आपके द्वार 2015 लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत घोसुण्डा मे रखी गई जहा उभय पक्षकारान उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होने से वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि

अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सम्मत होने से अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना मानते हुए अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 , 4 रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अन्य प्रतिवादीगण को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 रेस्पोडेन्टगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी मे रसीद बेग का शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत थी परन्तु वादीगण अपीलांट्गण को स्वयं की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण से जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया मुन्नी बाई पुत्री नानू बेग की ओर से प्रकरण मे पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया मुन्नी बाई को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप मे पक्षकार कायम किया गया। दिनांक 06.11.2012 को पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी संख्या 6 हेतु की गई जिसे प्रतिवादी संख्या 6 का जवाब लिये बिना व बिना अपीलांट्गण वादीगण की जानकारी के दिनांक 05.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपरिपक्व वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होना मानते हुए वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत

अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

होने व सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 23/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए, अजसरे, तनकीवार, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 02.11.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)